न्यायालय अतिरिक्त जिला कलक्टर एवं जिला मजिस्ट्रेट (तृतीय) – जयपुर

1. पीठासीन अधिकारी : श्री अशोक कुमार शर्मा
2. प्रकरण संख्या : 221/2020
3. उनवान : सरकार जरिये महेश कुमार मीणा, प्रवर्तन निरीक्षक
बनाम
श्री कमलेश शर्मा पुत्र श्री रघूनाथ डी–30 गोविन्दपुरी रामनगर सोडाला मैसर्स कमलेश पवित्र भोजनालय रोडवेज डिपो के सामने चौमू हाउस जयपुर।
4. निर्णय दिनांक : 05.07.2023
5. अधिवक्तागणों का नाम : अ) पैरोकार रसद प्रार्थी की ओर से।
ब) अधिवक्ता श्री राजेश कुमार शर्मा अप्रार्थी की ओर से।

निर्णय

प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 6ए आवश्यक वस्तु अधिनियम 1955

प्रार्थी प्रवर्तन निरीक्षक, जयपुर महेश कुमार मीणा द्वारा प्रार्थना पत्र अन्तर्गत 6ए आवश्यक वस्तु अधिनियम 1955 पेश कर निवेदन किया है कि दिनांक 12.04.2014 को घरेलू गैस सिलेण्डरों के वाणिज्यिक दुरुपयोग की जांच हेतु मैसर्स कमलेश पवित्र भोजनालय पंहुचे। मौके पर अप्रार्थी उपस्थित मिले जिन्होने स्वयं को फर्म का मालिक बताया। दौराने जांच एक घरेलू सिलेण्डर(बीपीसी) रेग्यूलेटर व रबड पाईप के माध्यम से लोहे की भट्टी से जुडा पाया गया जिस पर रोटी बनाने का कार्य किया जा रहा था। इसके अलावा परिसर में 5 अन्य घरेलू सिलेण्डर(2आईओसी+2एचपीसी+1बीपीसी) रखे हुये मिले। इस प्रकार कुल 6 घरेलू सिलेण्डर मय 33.03 किग्रा. एलपीजी उक्त परिसर में रखे पाये गये जिन्हें घरेलू गैस सिलेण्डरों का व्यवसायिक उपभोग करने का कार्य किया जाना प्रतीत होने पर जब्त किया गया। मौके पर उपस्थित फर्म मालिक ने इस संबंध में कोई संतोषप्रद जवाब नहीं दिया ना ही गैस कनेक्शन संबंधी कोई दस्तावेज प्रस्तुत किये। ऐसी स्थिति में फर्द मौका, फर्द अभिग्रहण, सुपुर्दगीनामा आदि की प्रति पेश कर निवेदन किया है कि जब्त वस्तुओं को आवश्यक वस्तु अधिनियम की धारा 6–ए(2) के तहत राजसात करने की कृपा करें।

प्रार्थना पत्र प्राप्त होने पर दर्ज रजिस्टर कर अप्रार्थी को नोटिस जारी किये गये। अप्रार्थी का नोटिस सम्यक रुप से तामील है। अप्रार्थी की ओर से दिनांक 18.07.2017 को अधिवक्ता श्री राजेश कुमार ने उपस्थित दी। अप्रार्थी/अधिवक्ता की ओर से आदिनांक तक जवाब पेश नहीं किया गया। तत्पश्चात प्रकरण बहस हेतु नियत किया गया। लम्बे समय तक पत्रावली बहस हेतु नियत रहने के दौरान भी बार–बार आवाज लगवाई गयी। इस पर भी अप्रार्थी अनुपस्थित रहा है। प्रार्थी पैरोकार सरकार द्वारा विभागीय प्रार्थना पत्र के तथ्यों को दोहराते हुए जब्त माल को राजसात करने का निवेदन किया। तदुपरान्त पत्रावली दिनांक 05.07.2023 को आदेश हेतु रखी गई।

हम प्रार्थी के प्रार्थना पत्र, दस्तावेजी साक्ष्यों का अवलोकन व मनन कर इस निष्कर्ष पर पहुंचते हैं कि दिनांक 12.04.2014 को जब्त घरेलू सिलेण्डरों का अप्रार्थी द्वारा वाणिज्यिक उपयोग किया जा रहा था। अप्रार्थी द्वारा घरेलू गैस सिलेण्डर से संबंधित दस्तावेज मौके पर व आज तक उपलब्ध नहीं करवाये गये तथा कोई सन्तोषप्रद जवाब भी मौके पर व आज तक नहीं दिया गया। इससे स्पष्ट होता है कि घरेलू गैस सिलेण्डर अवैध रुप से कालाबाजारी से जमा किये गये है। अप्रार्थीगण अथवा किसी अन्य व्यक्ति द्वारा भी जब्त सामग्री के संबंध में कोई क्लेम नहीं किया गया है। दौराने जांच एक घरेलू सिलेण्डर रेग्यूलेटर व रबड पाईप के माध्यम से लोहे की भट्टी से जुडा पाया गया जिस पर रोटी बनाने का कार्य किया जा रहा था जिससे घरेलू गैस सिलेण्डर का अवैध वाणिज्यिक उपयोग किया जाना सिद्ध होता है। अतः अप्रार्थी द्वारा द्रविकृत पैट्रोलियम गैस (प्रदाय और वितरण का विनियमन) आदेश 2000 के प्रावधानों का स्पष्ट उल्लंघन किया गया है। ऐसी स्थिति में फर्द जब्ती से जब्त वस्तुओं के संबंध में सन्तोषप्रद जवाब अथवा कोई वैध दस्तावेज अप्रार्थी द्वारा प्रस्तुत नहीं करने पर प्रार्थी द्वारा फर्द अनुसार जब्त सामान 6 घरेलू सिलेण्डर(2आईओसी+2एचपीसी+2बीपीसी) मय 33.03 किग्रा. एलपीजी को राजसात किया जाता है। जिला रसद अधिकारी जयपुर को निर्देश दिये जाते हैं कि जब्त वस्तुओं का विधिवत निस्तारण कर राशि राजकोष में जमा कराकर पालना रिपोर्ट प्रेषित करें। पत्रावली फैसल शुमार होकर दर्ज नम्बर से कम होकर दाखिल दफ्तर हो।

निर्णय आज दिनांक 05.07.2023 को खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(अशोक कुमार शर्मा)
अति. जिला कलक्टर एवं
जिला मजिस्ट्रेट (तृतीय)
जयपुर।